प्रेषक,

अजय कुमार शुक्ला,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग लखनऊ : दिनांक 04 अगस्त, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—867/सी0ई0ओ0-3-42/3-2022, दिनांक 28 जुलाई, 2022 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-41 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के मानक मदों के लिए कुल रू0 50,85,000/- (रूपये पचास लाख पचासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदया सहर्ष प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस मद में बचत दर्शायी जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31.3.2023 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का सदुपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कर लिया जायेगा।

(4) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

औचित्य का परीक्षण कर लेंगे तथा प्रश्नगत सेवाओ के संबंध में सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का होगा।

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मॉग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

(6) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग से उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में विनिर्दिष्ट प्रतिबन्धों /सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 50,85,000 (रुपये पचास लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 041 **लेखा शीर्षक** 2015001040300 निर्वाचन **मानक मद** 08 कार्यालय व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-:यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार शुक्ला)
सचिव।

संख्या-07/2022/528(1)/001-02-Reappropriation-2022-23, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(अच्युतानन्द)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A061-20222023-02-Reappropriation-2022

विषय:- अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001060300 (सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा)	04 (यात्रा व्यय)	22,66,86,000 रुपये बाईस करोड़ छियासठ लाख छियासी हजार मात्र	50,86,000 रुपये पचास लाख छियासी हजार मात्र	50,86,000 रुपये पचास लाख छियासी हजार मात्र	22,16,000,00 रुपये बाईस करोड़ सोलह लाख मात्र	2022-2023

निम्नलिखित निधियों मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001040300 (निर्वाचन)	08 (कार्यालय व्यय)	1,000 रुपये एक हजार मात्र	50,86,000 रुपये पचास लाख छियासी हजार मात्र	50,86,000 रुपये पचास लाख छियासी हजार मात्र	50,87,000 रुपये पचास लाख सत्तासी हजार मात्र	2022-2023

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लेखानुदान के माध्यम से धनराशि प्राप्त हुई है। इस अवधि में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की सम्भावना के कारण बचत सम्भावित है।

(2) मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.03.2022 के अनुक्रम में मेसर्स न्यू सिंह हाउस द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

जनपद महाराजगंज में लोक सभा/ विधान सभा निर्वाचन-1991 के दौरान टेण्ट, फर्नीचर, प्रकाश व विद्युत आदि की व्यवस्था कराने पर हुए व्यय के भुगतान हेतु धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों /परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-RE-budget-1-38-E-12-154-X-2022-23 , दिनांक 03.08.2022

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,

उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(ह0/-

अच्युतानन्द) (नितिन कुमार गुप्त)

अनु सचिव। अनु सचिव।

संख्या : A061-20222023-02-Reappropriation-2022, दिनांक- 04.08.2022,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त नियन्त्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अच्युतानन्द)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट :shasanadesh.up.gov.in... से सत्यापित की जा सकती है